

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी:- ओ.पी. चंदेलिया आर.ए.एस


क्रमांक :- दुरुस्ती / 2024 / 417

दिनांक :- 14.8.24

-:आदेश:-

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के शपथ पत्र एवं तहसीलदार भादरा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में रोही मौजा 7 बीएचडी के खाता सं० 147/122, 154/127 चक सिकरोड़ी बारानी के खाता सं० 9/9 चक 2 केआरपी के खाता सं० 136/122, 38/95 तहसील भादरा जिला हनुमानगढ की जमाबन्दी में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-


क्र. सं.	ग्राम/चक/पटवार मण्डल	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1	चक 7 बीएचडी	147/122 154/127	चन्द्रावली पत्नी रामेश्वर चावली पत्नी रामेश्वरलाल	
2	सिकरोड़ी बारानी	9/9	चन्द्रावली पत्नी रामेश्वर	चावली पत्नी रामेश्वर
3	2 के आर पी	136/122 38/95	चन्द्रावली पत्नी रामेश्वरलाल चन्द्रावली देवी पत्नी रामेश्वरलाल	


पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ
दिनांक :-

क्रमांक:- सम/2024/

प्रतिलिपी :- निम्न को सूचनार्थ एव पालनार्थ

1. तहसीलदार (राजस्व) भादरा को भेजकर लेख है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश, विवाद एव बैक रहन न हो तो आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद/अंकन किया जाना सुनिश्चित करे।
2. चावली पत्नी रामेश्वर को सूचनार्थ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

